

संदर्भ.सं. :आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/57/03/2022

Ref. No: IRDAI/HLT/REG/CIR/57/03/2022

दिनांक / Date: 28 मार्च/ March,2022

परिपत्र /Circular

प्रति / To,

सभी जीवन, साधारण और स्टैण्ड एलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (एआईसी एवं ईसीजीसी को छोड़कर)
All Life, General and Stand Alone Health Insurers (Except AIC and ECGC)

विषय:अल्पावधि कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पालिसियों की बिक्री और नवीकरण की समय सीमा का विस्तार

Re: Extension of timelines for sale and renewal of short term Covid specific health insurance policies

1. सभी बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिए अनुज्ञप्त अल्पावधि कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पालिसियों की ओर संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

1. Reference is invited to the short term Covid specific health insurance policies permitted to be offered by all Insurers.

2. परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/246/09/2021 दिनांकित 13 सितंबर, 2021 की धारा 2 के आंशिक संशोधन में, सभी बीमाकर्ताओं को 30.09.2022 तक अल्पकालिक कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य पालिसियाँ प्रस्तुत करने और नवीकरण की अनुमति दी जाती है।

2. In partial modification of Clause 2 of Circular ref.no: IRDAI/HLT/REG/CIR/246/09/2021 dated 13th September, 2021, all insurers are permitted to offer and renew short term Covid specific health policies up to 30.09.2022.

3. तदनुसार, कोविड मानक क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य पालिसी के परिपत्र, संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आईजी/सीआईआर/163/06/2020 दिनांकित 26.06.2020, संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार पेश की गयी कोरोना कवच पालिसियों और परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/164/06/2020 दिनांकित 26.06.2020 की कोविड मानक लाभ आधारित दिशानिर्देशों के अनुसार पेश की गयी कोरोना रक्षक पालिसियों को भी 30.09.2022 तक पेश करने और उनका नवीकरण करने की सभी बीमाकर्ताओं को अनुमति है।

3. Accordingly, Corona Kavach Policies offered as per Guidelines on Covid Standard Indemnity based Health Policy of Circular ref no. IRDAI/HLT/REG/CIR/163/06/2020 dated 26.06.2020 and Corona Rakshak Policies offered as per Guidelines on Covid Standard benefit based Health Policy of Circular ref no. IRDAI/HLT/REG/CIR/164/06/2020 dated 26.06.2020 are also permitted to be offered and renewed by all insurers up to 30.09.2022.

4. संबंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट सभी अन्य नियम व शर्तें वैध बनी रहेंगी।

4. All other terms and conditions remain valid as specified under the respective guidelines.

5. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

5. This has the approval of competent authority.

(डीवीएस रमेश / DVS Ramesh)

महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) / General Manager (Health)